रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D.—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार अप्रैल 21, 1984 (वैशाख 1, 1906)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1984 (VAISAKHA 1, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	397
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	507
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	583
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	8471
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	237
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	33
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	1471
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	65
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	Pages
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Governmen India (other than the Ministry of Defence) ..	397
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	507
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resotutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	583
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including byelaws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	8471
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	237
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	33
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1471
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	65
PART V—Supplement shewing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

* Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1984

सं. 42-प्रेज/84—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सिद्धेश्वर महन्त,
कांस्टेबल (सं. 209),
जिला कामरुप,
असम

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

11 फरवरी, 1983 को लगभग आधी रात को बंगाली मुसलमानों और हिन्दुओं के लगभग 10/15 हजार लोगों की एक भीड़ ने चामोरिया गांव पर हमला कर दिया, जहां असम के हिन्दू रहते थे। आई/सी. चामोरिया अपने दल के साथ, जिसमें कांस्टेबल सिद्धेश्वर महन्ता शामिल थे, भीड़ का मुकाबला करने के लिए गये। उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन भीड़ अधिक हिंसक हो गई और उसने पुलिस दल पर ही हमला करने की कोशिश की। इस कार्रवाई में कांस्टेबल सिद्धेश्वर महन्ता मुख्य दल से अलग हो गये। फिर भी वे गोली चलाते रहे और भीड़ को चामोरिया गांव में घुसने से रोके रखा। इस गोली बारी में उनके पास गोलाबारूद के जो 20 राउन्ड थे खत्म हो गये। उन्होंने दो आक्रमणकारियों को मार भी डाला। जब भीड़ को मालूम हुआ कि कांस्टेबल का गोलाबारूद समाप्त हो गया है तो उन्होंने पीछे से उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। उन्होंने कांस्टेबल सिद्धेश्वर महन्ता की राइफल भी छीन ली। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया।

आंदोलनकारियों के साथ इस मुठभेड़ में कांस्टेबल सिद्धेश्वर महन्ता ने उत्कृष्ट साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 1983 से दिया जाएगा।

सु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मार्च 1984

अनुशेष

सं० एम० 13011/2/80-रा० प्र० सर्व-II—भारत सरकार केन्द्रीय सचिवालय, सांख्यिकी विभाग के दिनांक 5 मार्च, 1970 के प्रस्ताव संख्या डी० एम०/एस० टी० एम०/4509 में निर्धारित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद् का गठन कुछ समय पूर्व सरकार के पुनर्विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि तीन अतिरिक्त सदस्यों, अर्थात् एक शिक्षाशास्त्री (अर्थशास्त्री) राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों से एक और प्रतिनिधि तथा सांख्यिकी विभाग का एक अधिकारी अर्थात् कार्यकारी निदेशक, संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग को भी परिषद् में सम्मिलित किया जायेगा।

उपर्युक्त सरकारी निर्णय के अनुसरण में दिनांक 5 मार्च, 1970 के कथित प्रस्ताव संख्या डी० एम०/एस० टी० एम०/4/69 के वर्तमान पैरा 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की वे सभी मदें, जिनके लिये सरकार परिवर्तन हेतु समय समय पर निर्देश देती है, इस संगठन को सौंपी जायेंगी। इस संगठन के कार्यकलाप एक शासी परिषद् द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसका गठन निम्न प्रकार से है :—

गैर-सरकारी :

1. अध्यक्ष
2. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के दो संख्याशास्त्री
3. विश्वविद्यालय से तीन अर्थशास्त्री/समाज विज्ञानी
4. अनुसंधान संस्थान तथा अन्य गैर सरकारी संगठन।

सरकारी :

4. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
5. कार्यकारी निदेशक, संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग
6. राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों के तीन निदेशक (क्रमावर्तन से)
7. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों के दो सांख्यिकीय/आर्थिक सलाहकार (क्रमावर्तन से)

रा० प्र० सर्वे संगठन के कर्मचारी :

8. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के संकार्यात्मक प्रभागों के निदेशक, जिनमें सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण, क्षेत्र संकार्य प्रभाग तथा समंक विधायन सम्मिलित हैं।

9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन—सदस्य सचिव"

अमिय भूषण मलिक, सचिव

योजना आयोग

(वित्तीय संसाधन प्रभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 मार्च 1984

विषय : (1) वित्तीय सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्ययों के लिए देशीय संसाधन जुटाने के लिए क्षमता और संयंत्रों के अध्ययन के लिए

और

(2) सातवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय ससाधनों का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी दलों के गठन में परिवर्तन।

सं० 60(50)/83-एफ० आर०—यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त दो कार्यकारी दलों के गठन में तत्काल प्रभावी होने वाले निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

परिवर्तन

1. देशीय संसाधन जुटाने के लिए क्षमता और संयंत्रों के अध्ययन से संबंधित कार्यकारी दल	1. श्री डी० आर० गुप्त के लिए डा० पी० डी० मुकर्जी सलाहकार (एफ० आर०) सदस्य-सचिव के रूप में लिखें।
	2. भूतपूर्व सलाहकार (एम०पी० डी०) के स्थान पर डा० बी० जी० भाटिया, सलाहकार (एम० पी० डी०) लिखें।
	3. श्री एस० के० गोविल, परामर्शदाता (वित्तीय संसाधन) सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे।
2. सातवीं योजना अवधि के लिए वित्तीय संसाधन के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल	1. श्री हरबंस सिंह, भूतपूर्व राजस्व सचिव के लिए श्री के० एन० सिंह, राजस्व सचिव लिखें।
	2. जोड़ें—श्री एस० के० गोविल, परामर्शदाता (एफ० आर०) को सदस्य के रूप में।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति कार्यकारी दल के प्रत्येक सदस्य को भेज दी जाए।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 1984

सं० ई० 13016/2/84—वि० एस० पी० (एल० एल० बी०)—भारत सरकार, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग ने हिंदी में मानक विधि पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन से संबंधित विद्यमान स्कीम के अधीन लिखित/प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों को पुरस्कार देने की स्कीम को और ऐसे लेखकों को, जिन्हें हिंदी भाषा में मौलिक विधि पुस्तकें लिखने का कार्य सौंपा जाता है, संदेय दरों को आगे और पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० ई० 13016/3/75-वि० एस० पी० (एल० एल० बी०) तारीख 4 मई, 1976 के अधीन अधिसूचित उक्त स्कीम में तुरंत निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

1. संकल्प के पैरा 3 के उप-पैरा I के खड़ (i), (ii) और (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे :—

"(i) सरकार, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में अनुसूची में उल्लिखित पांच ग्रुपों में से प्रत्येक ग्रुप में सामान्यतः एक प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय पुरस्कार, एक तृतीय पुरस्कार और एक प्रोत्साहन पुरस्कार देगी। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए (दस हजार रुपए) का, द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का, तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपए (तीन हजार रुपए) का होगा और प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि 2,000 रुपए (दो हजार रुपए) तक हो सकेगी। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रत्येक ग्रुप में किसी भी प्रवर्ग के एक से अधिक पुरस्कार दिए जा सकते हैं किन्तु उस ग्रुप में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल रकम 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए) से अधिक नहीं होगी :

परन्तु वे पुस्तकें पुरस्कार पाने की पात्र नहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सहायता पाने वाले किसी संस्थान

या संगठन द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के अधीन या किए गए करार के अनुसरण में लिखी गई / प्रकाशित की गई है ।

स्पष्टीकरण—अनुसूची में दिए गए विषयों का पांच ग्रुपों मे विभाजन दृष्टांतस्वरूप है निःशेष कार्य नहीं है । मूल्यांकन समिति द्वारा किसी पुस्तक के बारे में किया गया वर्गीकरण कि वह किस विशिष्ट ग्रुप में आती है, अंतिम और निश्चायक होगा ।

(ii) यदि किसी पुस्तक को पुरस्कार दिया जा चुका है तो उसके पश्चात्वर्ती संस्करण को सामान्यतः पुरस्कार के लिए पात्र नही समझा जाएगा । पहले नामंजूर की गई किसी पुस्तक पर इस पुरस्कार की स्कीम के अधीन फिर से विचार किया जा सकेगा, यदि इसके पश्चात्वर्ती संस्करण में पुनरीक्षण किया गया है और लेखक ने अभिव्यक्त रूप से यह कहा है कि पुस्तक का पुनरीक्षण किया गया है और उसका यह दावा पुर्वतर संस्करण से तुलना करने पर सिद्ध हो जाता है ।

(iiक) सामान्यतः ऐसा कोई लेखक, जिसने किसी विशिष्ट विषय में पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, उसी विषय मे पुनः पुरस्कार के लिए पात्र नही होगा । किन्तु वह किसी भिन्न विषय पर उसी या अन्य ग्रुप मे पुरस्कार पाने का पात्र होगा, यदि मूल्याकन समिति विनिर्दिष्टतः यह सिफारिश करती है कि ऐसी पुस्तक स्कीम के अधीन पुरस्कार पाने के योग्य है ।

(vii) पुरस्कार, पुस्तक की गुणवत्ता (क्वालिटी), विषय-वस्तु और साहित्यक श्रेष्ठता के आधार पर दिए जाएंगे । पुस्तकों के लेखक अपनी पुस्तकों में साधारणतया, यथा स्थिति, केन्द्रीय अधिनियमो या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठों मे प्रयुक्त हिन्दी विधिक शब्दो का प्रयोग करेंगे । राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में दिए गए विधिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में तद्रूप या समरूप पदों के लिए किया जाना होगा । जहां अधिनियमितियों के पाठ उद्धृत किए जाने हों वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए ।"

2. पैरा 3 के उप-पैरा II के खंड ( ) में "इसके प्रथम सस्करण के लिए यदि उस संस्करण में 3000 प्रतियों से अधिक नहीं छापी गई हैं तो 5000 रु० (केवल पांच हजार रुपए) की रकम दो किस्तों में देगी" । शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :—

"इसके प्रथम संस्करण के लिए यदि उस संस्करण में 3000 प्रतियों से अधिक नहीं छापी गई हैं तो 5000 रुपए (केवल पांच हजार रुपए) की रकम दो किस्तों में देगी । किन्तु सरकार आपवादिक दशाओं में मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर 5,000 रु० से अधिक स्वामित्व का संदाय कर सकेगी जो किसी भी दशा में 10,000 रुपए से अधिक नही होगा ।"

3. पैरा 3 के उप पैरा II के खंड (V) के उप-खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी अन्त में जोड़ा जाएगाः—

"टिप्पणी—

यदि किसी लेखक को सरकार के अनुरोध पर पाण्डुलिपि का कुछ भाग पुनः टंकित करवाना पड़ा हो तो पुनः टंकण प्रभारों का संदाय भी उसी दर पर किया जाएगा जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।"

4. पैरा 3 के उप-पैरा II के खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा :—

XII) लेखक साधारणतया, यथास्थिति, केंद्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में प्रयुक्त हिन्दी विधिक शब्दों का प्रयोग करेगा । राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में दिए गए विधिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में तद्रूप या समरूप पदों के लिए किया जाना होगा । जहां अधिनियमितियों के पाठ उद्धृत किए जाने हों वहां, यथास्थिति, केंद्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए ।

स्कीम के अन्त में निम्नलिखित को पैरा 3 के उप–पैरा IV के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(IV) 1973 से 1982 तक प्रकाशित विधि की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को पुरस्कार :—

(i) विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा दिसम्बर, 1982 तक प्रकाशित वे सभी पुस्तकें, जो सरकार ने प्राइवेट लेखकों से लिखाई हैं और जो मौलिक रूप में हिन्दी में लिखी गई है (अनुवाद नहीं) पुरस्कार के लिए पात्र होंगी। इसे "दशक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक" कहा जाएगा ।

(ii) केवल एक ही पुरस्कार दिया जाएगा और वह 10,000 रुपए (दस हजार रुपए) का होगा और इसके साथ प्रशस्ति-पत्र या पदक दिया जाएगा ।

(iii) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा एक विशेष मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे । इस समिति का अध्यक्ष और इसके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सरकार की राय में विधि और हिंदी का

पर्याप्त ज्ञान है तथा जिन्होंने विधि संबंधी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान किया है। राभाषा खंड के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी इस समिति के सचिव होंगे।

(iv) समिति पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए और समिति के कार्य की प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगी।

(v) यह पुरस्कार पुस्तक की गुणवत्ता (क्वालिटी) विषय-वस्तु, विषय विवेचन, ज्ञान वृद्धि में योगदान, मौलिकता और साहित्य श्रेष्ठता के आधार पर दिया जाएगा और मूल्यांकन समिति यह विनिश्चय करने में स्वतंत्र होगी कि कोई भी पुस्तक यह विशेष पुरस्कार दिए जाने के योग्य नहीं है।

(vi) जिन पुस्तकों पर एक बार विचार किया जा चुका हो, उन पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जाएगा। सरकार 1983 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए किसी अन्य "दशक-पुस्तक की सर्वश्रेष्ठ" का समुचित समय पर चयन करने का विनिश्चय कर सकेगी।

ओ० पी० मुग्रा, अवर सचिव

अनुसूची

1. विधि-शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया।

2. दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, सामाजिक आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण।

3. सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम।

4. वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि।

5. पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधियां।

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली -1, दिनांक 2 अप्रैल 1984

आदेश

सं० 27/12/84-सी० एल० 2-कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में उक्त धारा 209-क के उद्देश्यों के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

1. श्री आर० के० अरोड़ा, उप-निदेशक (निरीक्षण)
2. श्री भंवर लाल दागा, सहायक निरीक्षक अधिकारी

के० आर० ए० एन० अय्यर, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1984

नियम

सं० 6/2/84-के० से०-1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन: के लिए वर्ष 1984 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं:—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग का ग्रेड-IV (सहायक)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड, और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में बताई जाएंगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के पताका 'क' परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या वह

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने पर ही दिया जायेगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

टिप्पणी : 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए मान लिया जायेगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए एक प्रयास कर चुका है।

टिप्पणी : 2—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है।

टिप्पणी : 3—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जायेगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाये। उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1984 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1959 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1964 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1984 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफरों ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ नहीं हैं, इस उप-नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उसके द्वारा धारित पद समान वेतनमान के ही क्यों न हों।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यवर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो

तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा तंजानिया संयुक्त गण-राज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो, तो जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत सरकार से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाणपत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो जा और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाणपत्र हो और जो वितयनाम से जुलाई, 75 के बाद भारत आया हो, तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1984 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल से समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1984 को छः महीनों के अंदर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधि-अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी 1984 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1984 को छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया था, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

उपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

टिप्पणी :—जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश न दिया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा । जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड-घ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद पर स्थानान्तरण हो जाता है किन्तु

जिस पद पर से स्थानान्तरित हुआ है उस पर उसका नियत बना रहना है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा ।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मण्डल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1965 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए ।

टिप्पणी: I—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो, रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी :II—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी: III—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हो, चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हुए हो पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हो या वे जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उन सब को इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

9 परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

11 उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित फीस देनी होगी ।

12 जिस उम्मीदवार ने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्व-पूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर, असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो,

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

(xi) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो ।

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने के लिए अवप्रेरित किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन), चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए —

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तब नहीं दी जायेगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, पर यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता-क्रम में उनका कोई भी स्थान हो नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त हों।

14 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे और आयोग परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्याधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये बताये गये वरीयता-क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा। यह आवेदन पत्र आयोग द्वारा उसको तभी दिया जायेगा जब वह उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त घोषित कर दिया जाता है।

16 नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17 उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाईपिंग पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उसमें छूट मिल जाने पर उनका वेतन या मान कर फिर से इस प्रकार नियुक्त किया जायेगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।

18. जिन व्यक्तियों ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना है।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकारी नहीं मिल जाता इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्वोक्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

21 भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें पताका 'ख' परिशिष्ट-II में संक्षिप्त में दी गई है।

वी० डी० चड्ढा, अवर सचिव

परिशिष्ट-

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

क्र० सं०	विषय	कोड सं०	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	निबन्ध	01	100	2 घंटे
2.	अंग्रेजी—दो भागों में I और II)		200	3 घंटे
	भाग I	02		1 घंटा
	भाग II	03		2 घंटे
3.	अंकगणित	04	100	2 घंटे
4.	सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	05	100	2 घंटे

विशेष ध्यान :—यदि कोई उम्मीदवार अंग्रेजी प्रश्नपत्र के मामले में अनुमत समय सीमा में परीक्षा भवन में नहीं पहुंचता है और उसे भाग I परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो वह उक्त प्रश्न पत्र की भाग परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

2. अंग्रेजी भाग I—अंकगणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न-पत्रों में वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे।

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। निबन्ध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे।

टिप्पणी 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिये होगा उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिये नहीं।

टिप्पणी 2—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए नहीं तो यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यदि उम्मीदवार प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में लिखते हैं तो उन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो हिन्दी की तकनीकी शब्दावली यदि कोई हों, के साथ-साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपनी विवक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे।

9. निबन्ध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा।

10. प्रश्न पत्रों, जहां आवश्यक हों, तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

12. उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिये कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लायें।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

(1) निबन्ध (कोड सं० 01) :—दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग 1 (कोड सं० 02)—प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके।

अंग्रेजी भाग 2 (कोड सं० 03)—प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी-लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके।

(3) अंकगणित (कोड सं० 04)—संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिकी तथा अंकगणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा।

(4) सामान्य ज्ञान—जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है (कोड सं० 05) सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कौसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय

विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड, निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालयों में अवर सचिव विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड II और III	मुख्यालयों में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उपकांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 650-30-740 35-810-द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200
ग्रेड IV	मुख्यालयों में तथा विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक—	रु० 425-15-500-द० रो० 15-560-20-700-द० रो० 25-800

टिप्पणी—समेकित ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 710/- रु० मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहे भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. विदेशों में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त संबद्ध देशों में निर्वाह व्यय आदि के अनुसार समय-समय पर स्वीकृत की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भा० विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों पर लागू हो गई है, विदेशों में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी ग्राह्य है :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार सुसज्जित निःशुल्क आवास;

(ii) सहायता-प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं;

(iii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिये गृह अवकाश-यात्रा;

(iv) सरकार द्वारा यथा परिभाषित आपत्काल जैसे भारत में किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु अथवा गम्भीर बीमारी के समय भारत जाने और विदेशों में कार्यस्थल पर वापस लौटने के लिए जाने-आने का एकल हवाई यात्रा व्यय जो पूरी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार मिलेगा;

(v) भारत में क्षेत्रीय शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 6 से 22 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुछ शर्तों पर छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता के पास आने जाने के लिए वार्षिक हवाई-यात्रा व्यय;

(vi) उक्त अधिकारी की विदेश में तैनाती स्थल पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का व्यय जो अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा, कुछ शर्तों के अधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है,

(vii) विदेशों में प्रति तैनाती पर रु० 1750/- परिसज्जा भत्ता, जो सारी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक 8 अवसरों तक मिलेगा।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता, और पदोन्नति), नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाये और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति, नियमावली, 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमावली, 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200-50-1300-60-1600-द०-रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

( ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं :—

1. चयन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600 ।

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड —रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

4 सहायक ग्रेड रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 ।

टिप्पणी :—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/- रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परिवीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे । यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सके और परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा मुक्त किया जा सकता है ।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है, या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र, होंगे, और

(ii) गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी० टी० ओ० के हकदार होंगे ।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600 ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 ।

टिप्पणी :—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा मुक्त किया जा सकता है ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नत के पात्र होंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग

(कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) (ग्रुप क)	रु० 1500-60-1800
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप क)	रु० 1100-50-1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप ख-राजपत्रित)	रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-1000 द० रो० -40-1200
(4) सहायक (ग्रुप ख-अराजपत्रित)	रु० 425-15-500-द० रो० 15-560-20-700-द० रो० 25-800 ।

टिप्पणी :

(1) सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710 रु० का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि मे उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो रहे अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा । तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा ।

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1984

सं० एफ 08/9/83—एन० एस०—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 22 दिसम्बर, 1983 के संकल्प संख्या एफ० 8/9/83—एन० एस० के द्वारा 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित संसद सदस्यों को इसी समय से सदस्य नियुक्त किया गया है :—

1. श्री डी० जी० पाटिल
   सदस्य, राज्य सभा
2. श्री जी० सी० भूयान
   सदस्य, राज्य सभा
3. श्री अलादि अरुण
   सदस्य, राज्य सभा
4. श्री विष्णु प्रसाद
   सदस्य, लोक सभा
5. श्रीमती माधुरी सिंह
   सदस्य, लोक सभा
6. श्री बिजेन्द्र पाल सिंह
   सदस्य, लोक सभा
7. श्री मोहम्मद असरार अहमद
   सदस्य, लोक सभा
8. श्री धर्मवीर सिन्हा
   सदस्य, लोक सभा
9. श्री सुधीर कुमार गिरी
   सदस्य, लोक सभा

ए० एल० तुली, उप सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1984

संकल्प

सं० एस० सी०–4(11)/83–डी–III—लघु उद्योग निगमों को वर्ष 1972 से लघु उद्योगों को लोहे तथा इस्पात सामग्री के वितरण का काम सौंपा गया था। इस समय मुख्य उत्पादकों द्वारा इन निगमों को मूल्य में छूट देकर इस्पात की सप्लाई की जाती है ताकि ये लघु उद्योगों को इस्पात की उपलब्धि मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के मूल्यों पर करा सकें। ये निगमें कुछ समय से यह बात उठा रही है कि लोहे तथा इस्पात की उठाई-धराई के लिए जो छूट उन्हें दी जाती है वह कम है अतः इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया गया है:—

(क) लघु उद्योग निगमों की मार्फत सप्लाई करने की वर्तमान योजनाओं के कार्यकरण की सामान्य रूप से समीक्षा करना और उन्हें सुप्रवाही बनाने के लिए उपाय सुझाना;

(ख) लघु उद्योग निगमों द्वारा लोहे तथा इस्पात की उठाई-धराई में आने वाली लागत की जांच करना तथा ऐसी प्रक्रिया सुझाना जिसके द्वारा लघु उद्योगों को मुख्य उत्पादकों के स्टाक्यार्डों के समकक्ष मूल्यों पर लोहा तथा इस्पात उपलब्ध कराया जा सके; और

(ग) उपरोक्त बातों तथा इनसे सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक मामलों के बारे में सिफारिश करना।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(1) श्री डी० एन० घोष, — अध्यक्ष
अपर सचिव, भारत सरकार,
इस्पात और खान मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

(2) श्री प्र० गो० रामरख्यानी, — सदस्य
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
इस्पात और खान मंत्रालय,
इस्पात विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

(3) श्री डी० के० घोष, — सदस्य
लोहा तथा इस्पात नियंत्रक,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता –700020

(4) अध्यक्ष,
भारतीय लघु उद्योग निगम परिषद् — सदस्य
फ्लैट नं० 910, पद्मा टावर–I,
राजेन्द्रा पैलेस,
नई दिल्ली–110008

(5) विकास आयुक्त, — सदस्य
लघु उद्योग,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि,

(6) श्री एस० एम० वेंकटरमण, — सदस्य
उप महा प्रबन्धक,
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड,
केन्द्रीय विपणन संगठन,
मार्टिन बर्न हाउस,
(चौथी तथा पांचवी मंजिल)
12, मिशन रो,
कलकत्ता –700001.

(7) श्री जे० एस० चार्लू,
कार्यकारी सचिव, — सदस्य
संयुक्त संयंत्र समिति,
225–सी०, आचार्य जगदीश
बोस रोड,
कलकत्ता–700020.

(8) डा० एस० सी० मजूमदार, — सदस्य सचिव
लोहा तथा इस्पात संयुक्त नियंत्रक,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता–700020.

यह समिति जब कभी आवश्यक समझे तो अतिरिक्त सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकती है।

3. समिति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रि-मंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवंम् महालेखा परीक्षक तथा

(1) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक,
234/4, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता –700020।

(2) कार्यकारी सचिव,
संयुक्त संयंत्र समिति,
225-सी०, आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता - 700 020।

(3) अध्यक्ष,
स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड,
नई दिल्ली।

4. अध्यक्ष,
भारतीय लघु उद्योग निगम परिषद्,
फ्लैट नं० 910,
पद्मा टावर–1,
राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110008।

(5) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों

(6) इस्पात विभाग के विवरण और नियंत्रण स्वन्ध मे डैस्क-I और डैस्क-II को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्र० गो० रामरख्यानी, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनाक 29 मार्च 1984

सं० 07011/4/83–नमक—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 07011/1/80–नमक दिनांक 29–7–81 जिसे नमक हेतु केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करने संबंधी इसी संख्या वाले संकल्प दिनांक 26–11–81, 15–5–82, 5–7–82, 6–9–82, 8–11–82 तथा 15–12–82 और संख्या 07011/4/83–नमक दिनांक 16-6-83, 29-6-83 तथा 18-8-83 के संकल्पो द्वारा संशोधित किया गया था, मे और आगे संशोधन करते हुए भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय से भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री एम० एम० कृष्णा के स्थान पर उद्योग मंत्रालय मे केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री एम० बी० पी० पट्टाभि रामा राव को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने तथा श्री एस० बी० जैन, भूतपूर्व अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, जिनका अब स्थानान्तरण हो गया है, के स्थान पर श्री जी० वेंकटरमण, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय को बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग-1 में प्रकाशित किया जाए।

ओ० पी० शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1984

सं० 18-7/82-एल० डी० I—राष्ट्रपति, भारतीय डेरी निगम के संघ की नियमावली अनुच्छेद 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-9-1982 के अधिक्रमण में, भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल को 22-9-1982 से तीन वर्षों की अवधि के लिये या आगामी आदेशों तक (इनमे से जो भी पहले हो) निम्न प्रकार पुनर्गठित करते है :—

1. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष
अध्यक्ष
भारतीय डेरी निगम,
बड़ौदा।

2. श्री जी० एम० झाला, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय डेरी निगम,
बड़ौदा।

3. श्री वी० इ० शाह, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड,
आनन्द।

4. श्री पी० एल० कोहली, सदस्य
अतिरिक्त सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

5 श्री एम० वाई० घिर्प्रोल्कर, सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग
नई दिल्ली।

6. डा० श्री० एन० सिंह, — सदस्य
पशुपालन आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

7. श्री के० वी० अर्द्धनारीश्वरन, — सदस्य (31-3-83 तक)
संयुक्त सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

8. श्री विष्णु भगवान, — सदस्य (16-7-83 तक)
संयुक्त सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नयी दिल्ली।

9 डा० आर० पी० अनेजा, — सदस्य (16-7-83 से)
सचिव,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड,
आनन्द।

विष्णु भगवान, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 1983

संकल्प

सं० 602/4/82-पी० एण्ड सी०—भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एतद्द्वारा आयातित अखबारी कागज के मूल्य का निर्धारण करने के मामले में सरकार को सलाह देने के लिए 1-4-1984 से अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति का गठन करता है :—

2. समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष — सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सरकारी सदस्य :

1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
2 संयुक्त सचिव, (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3 संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
4 संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
5 संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
6 मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात का एक प्रतिनिधि
7. कार्यकारी निदेशक, राज्य व्यापार निगम या उनका प्रतिनिधि
8 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

गैर सरकारी सदस्य :

1. इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।
2 इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज पेपर्स एसोसिएशन द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक समिति के सदस्य सचिव होंगे।

3. समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के अखबारी कागज की उपलब्धता तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए आयातित अखबारी कागज के लिए निश्चित किए जाने वाले बिक्री मूल्य के बारे में सरकार को सिफारिशें करेगी।

4. समिति आयातित अखबारी कागज की बिक्री के संबंध में पिछले निर्णयों को नहीं खोलेगी।

5. समिति की भूमिका नितान्त सलाहकारी होगी और इसकी कार्यवाहियों को गोपनीय समझा जाएगा। सदस्यों को दी गई सूचना को प्रकट नहीं किया जाएगा सिवाय उस व्यक्ति द्वारा जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

6. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

7 गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर विषय पर संगत सरकारी अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए पात्र होंगे।

8 समिति की बैठकें सामान्यतया नई दिल्ली में हर तिमाही में एक बार होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th April 1984

No. 42-Pres./84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :-

Name and rank of the officer

Shri Sidheswar Mahanta,
Constable No. 209,
Distt Kamrup.
Assam

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th February 1983, around midnight, a mob of about 10/15 thousands comprising of Bengali Muslims and Hindus attacked the Chomoria Village which was inhabited by Assamese Hindus. The I/C Chomoria alongwith his party including Constable Sidheswar Mahanta went out to deal with the mob. They opened fire in the air but the mob grew more violent and tried to attack the Police Party itself. In this action the Constable Sidheswar Mahanta was isolated from the main party. He, however continued firing and prevented the mob from entering the chomoria village. During this firing he exhausted the 20 rounds of ammunition that he had and also killed two of the attackers. When the mob realised that the Constable has exhausted his ammunition, they attacked him from behind and assaulted him severely causing serious injuries. They also snatched away his rifle. He was later on removed to hospital.

In this encounter with the mob of agitators, Constable Sidheswar Mahanta exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th February 1983.

S. NILAKANTAN
Dy Secretary to the President

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 26th March 1984

ADDENDUM

No M-13011/2/80-NSS.II.—The composition of the Governing Council of the National Sample Survey Organisation as laid down in the Government of India, Cabinet Secretariat, Department of Statistics Resolution No DS/STS/4-69 dated the 5th March 1970 has been under review of Government for some time past. It has now been decided that three additional members viz. One Academician (Economist), one more representative from State Statistical Bureaus and one functionary of the Department of Statistics viz. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics, shall be included in the Council.

In pursuance of the above Government decision, the existing para 5 of the said Resolution No DS/STS/4-69 dated the 5th March 1970 shall be substituted by the following namely : -

"All items of National Sample Survey, subject to such changes as the Government may direct from time to time, will be entrusted to this Organisation. The activities of this organisation will be governed by a Governing Council composed as follows :—

Non-Officials

1. Chairman.
2. Two Statisticians from the Indian Statistical Institute.
3. Three Economists/Social Scientists from Universities.
4. Research Institutes, and other Private Organisations.

Officials

5. Director-General, Central Statistical Organisation.
6. Executive Director, Computer Centre, Department of Statistics.
7. Three Directors of State Statistical Bureaus (in rotation).
8. Two Statistical/Economic Advisers of Central Government Ministries/Departments (in rotation).

NSS Organisation Staff

9. Directors of functional Divisions of the National Sample Survey Organisation, including Survey Design & Research Division, Economic Analysis, Field Operations and Data Processing.
10. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation—Member Secretary."

ORDER : ORDERED that a copy of the ADDENDUM be communicated to :

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure, MD II Branch, New Delhi.
2. Ministry of Home Affairs.
3. Department of Personnel and ARs, New Delhi.
4. Indian Statistical Institute, 203, G. T. Rd., Calcutta-35.
5. Executive Director, Computer Centre, New Delhi.
6. Director, Field Operation Division, NSSO, New Delhi.
7. Director, DATA Processing Division, NSSO, 25-A, Shekespeare Sarani, Calcutta.
8. Director, Survey Design & Research Division, NSSO, 25-A, Shakespeare Sarani, Calcutta
9. Director, Economic Analysis Division NSSO, New Delhi.
10. Directors of all State Statistical Bureaus
11. All officers in the Deptt. of Statistics/Central Statistical Organisation.

ORDERED also that the Addendum be published in the Gazette of India for general information.

A. B. MALIK, Secy.

PLANNING COMMISSION

(FINANCIAL RESOURCES DIVISION)

New Delhi-1, the 14th March 1984

Subject : Changes in the Composition of the Working Groups (i) for Study of Potential as well as the Instruments for Domestic Resource Mobilisation for Financing Public Sector Plan Outlays and (ii) for Study of Financial Resources during the Seventh Plan period.

No 60(50)/83-FR.—It has been decided to effect the following changes in the composition of the above two Working Groups with immediate effect :

	Change
I. Working Group for a Study of Potential as well as the Instruments for Domestic Resource mobilisation.	1. Substitute Dr P. D. Mukherjee, Adviser (FR) as Member-Secretary *for* Shri D. R. Gupta.
	2. Substitute Dr. V G. Bhatia, Adviser (MPD) in place of former Adviser (MPD).
	3. Shri S. K. Govil, Consultant (FR) continues as Member.
II. Working Group for a Study of Financial Resources for the Seventh Plan Period.	1. Shri K. N Singh, Revenue Secretary may be substituted *for* Shri Harbans Singh, former Revenue Secretary.
	2. *Add* Shri S. K. Govil, Consultant (FR) as Member.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to each Member of the Working Group.

K. C. Agarwal, Director (Admn.)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

LEGISLATIVE DEPARTMENT

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 2nd March 1984

AMENDMENT TO RESOLUTION

No. F. 13016/2/84-VSP(HLB).—The Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Legislative Department have decided to further revise the scheme for award of prizes to the best law books written/published in Hindi and the rates payable to authors who are assigned the work of writing original law books in Hindi language under the existing scheme relating to writing and publication of standard law books in Hindi. Accordingly, the following amendments are hereby made with immediate effect in the said scheme as notified under the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan's Resolution No. F. 13016/3 75-VSP(HLB) dated the 4th May, 1976 as amended from time to time

1. Clauses (i), (ii) and (vii) of Sub-para I of Para 3of the Resolution shall be substituted by the following :—

"(i) In each calendar year the Government may ordinarily award one First Prize, one Second Prize, one Third Prize and one Consolation Prize in each of the five groups mentioned in the schedule. The first prize shall be of an amount of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand), the second of an amount of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand), the third of an amount of Rs. 3,000 - (Rupees Three thousand) and the Consolation Prize shall be any amount not exceeding Rs. 2,000/- (Rupees Two thousand). On the recommendations of Evaluation Committee more than one prize of any category may be awarded in each group whatsoever but the total amount of the prizes awarded in that group shall not exceed Rs. 20 000/-.

Provided that the books written/published in pursuance of a contract with, or under any scheme sponsored by the Central Government or any State Government or any institution or organisation receiving aid from any of the Governments aforesaid, shall not be eligible for the award of prize.

Explanation :—The division of subjects in five groups listed in the Schedule is illustrative and not exhaustive. The classification of a book by the Evaluation Committee as falling within a particular group shall be final and conclusive.

(ii) Where a book has been awarded a prize, its subsequent edition would not ordinarily be eligible for consideration. A book rejected earlier would be eligible for consideration under the prize scheme if in subsequent edition it has undergone revision and the author has expressly stated that the book has been so revised and his claim is substantiated by comparison with the earlier edition.

(ii) Ordinarily no author who has received an award in a particular subject shall be eligible for further award in that subject, but would be eligible for consideration for award in the same or another group on a different subject, if the Evaluation Committee specifically recommends that such book merits an award under the scheme

(vii) The award of prizes would be on the basis of the quality, content and literary excellence of the book. The author of a book shall generally use the Hindi legal terms occurring in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or State Acts, as the case may be. The Hindi legal terms contained in the Legal Glossary published by the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, are to be used for identical or similar expressions occurring in the book. Where texts of enactments are to be quoted, the exact words occurring in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or the State Acts, as the case may be, should only be used."

2. In Clause (v) of Sub para II of Para 3 for the words "for the first edition if it is of not more than 3000 copies", the following shall be substituted :—

"for the first edition if it is of not more than 3000 copies. However, in exceptional cases, on the recommendation of Evaluation Committee the Govt. may pay royalty exceeding Rs. 5,000/- but not exceeding Rs. 10,000/- in any case."

3. Afater sub-clause (4) of Clause (v) of Sub para II of Para 3, the following Note shall be added at the end :—

Note :: Re-typing charges shall also be payable at the same rate as indicated above in case an author was required to get some portion of the Manuscript retyped at the instance of the Government."

4. For Clause (xii) of Sub para II of Para 3, the following clause shall be substituted :—

"(xii) The author shall generally use the Hindi legal terms occurring in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or State Acts, as the case may be. The Hindi legal terms contained in the Legal Glossary published by the Official Languages Wing Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs are to be used for identical or similar expressions occurring in the book. Where texts of enactments are to be quoted, the exact words occurring in the authoritative Hindi texts of the Central Acts or the State Acts, as the case may be, should only be used.

The following shall be added at the end of the Scheme as Sub para IV of Para 3 :—

1. IV. *Award of Prize to the best law book published till* 1982.

(i) All books published by the Vidhi Sahitya Prakashan till December, 1982 which were assigned by Govt. to private authors and written originally in Hindi (*not a translation*) shall be eligible for consideration for award of the Prize. It shall be called "The best book of the Decade."

(ii) There shall be only one prize of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) alongwith a commendation plaque or medallion.

(iii) A special Evaluation Committee shall be constituted by Govt. for the purpose and shall consist of a Chairman and two other members. The Chairman and members shall be such persons who in the opinion of the Govt. possess adequate knowledge of law and Hindi and have also made contributions in the field of Hindi literature in law. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing shall be the Secretary of the Committee.

(iv) The Committee shall formulate rules of procedure for evaluation of books and for transaction of business.

(v) The award of the prize shall be on the basis of the quality, content, treatment of the subject, contribution to knowledge, originality and literary excellence of the book and Evaluation Committee shall be free to decide that no book deserves the special award.

(vi) Books considered once shall not ordinarily be considered again. Government may decide at the appropriate time to select another 'Best Book of the Decade' for the period commencing from 1983.

O. P. DUA, Under Secy.

SCHEDULE

1. Jurisprudence, Comparative Law, Legal History, Constitutional History, Constitutional Law, Administrative Law, Election Law, Legislative Drafting, Interpretation of Statutes and Parliamentary Procedure.

2. Criminal Law, Criminal Procedure : Criminology, Evidence, Socio-economic offences, Protection of Civil Rights.

3. Civil Procedure, Limitation, Specific Relief, Legal Remedies, Court-fees, Suits, Valuation, Registration, Law of Torts, Personal Laws and Indian Succession Act.

4. Commercial Law, Industrial and Labour Law, Intellectual Property Laws, of Co-operation and Taxation Laws.

5. Environment Law, Law of the Sea, International Law, International Trade Law, International Organisations, Laws not falling under any of the above categories.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 2nd April 1984

ORDER

No. 27/12/84-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers in the Department of Company Affairs for the purposes of the said section 209-A :—

1. Shri R. K. Arora, Deputy Director (Inspection)

2. Shri Bhanwar Lal Daga, Asstt. Inspecting officer

K. R. A. N. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 21st April 1984

RULES

No. 6/2/84-CS.(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1984 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of General Cadre of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters' Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examintion will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permenently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1962.

Note 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

Note 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1984 i.e. he must have been born not earlier than the 2nd January, 1959 and not later than the 1st January, 1964.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1984 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographer Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scale.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person, from erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (Now Bankgla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is is a bona fide repatriate or prospective of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate

to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963,

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with an foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Cietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Victnam and who arrived in India from Victnam not earlier than July, 1975,

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1984 and have been released on completion of assignment (including these whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1984), otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment.

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and Commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1984 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1984) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

Note :—The candidate of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination He will, howver, continue to be eligible, if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C./Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possesses an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service whether in a permanent or in a temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their emloyer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the result of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the result of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/Posts in the detailed application form which will be supplied to him by the Commission at he is declared finally qualified on the result of the examination.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to considered for appointment will be medically examined.

20 Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Servic/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service the Central Secretariat Service and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

B. D. CHADHA,
Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Sl. No.	Subject	Code No.	Max. Marks	Time Allowed
1.	Essay	01	100	2 hours
2.	English in two-parts (I &II)		200	3 hours
	Part I—	02		1 hour
	Part II—	03		2 hours
3.	Arithmetic	04	100	2 hours
4.	General Knowledge including Geography of India	05	100	2 hours

N.B.— In the case of the paper "English", if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

2. The question papers in English Part I, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India will consist of objective type questions.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper I or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates Question papers in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 6 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

11. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

12. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay (Code No. 01)*.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English ·

English Part I (Code No. 02)— Paper will be designed to test the candidates ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II (Code No. 03)—Paper will consist of questions designed to test candidates ability to write good English and for precis writing.

(3) *Arithmetic (Code No. 04)*—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge including Geography of India (Code No. 05)*—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Indian Foreign Service (B)*.—

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and second Secretaries in Missions and posts abroad	Rs. 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs. 710/- p.m.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts include in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules;

(iv) Return Single Air Passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two years throughout the officer's service for emergencies such as the death or serious illness of a near relation in India as may be defined by the Government.

(v) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 22 studying in regional educational institution in India to visit parents during vacation subject to certain conditions;

(vi) Expenditure on education of children upto maximum of two children between the ages of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions.

(vii) Outfit allowance Rs. 1,750/- per posting abroad subject to maximum of 8 occasions during the entire career.

6. All Officer appointed to the IFS(B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion). Rules 1964 and also to other rules and regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service,

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistant) of the IFS(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B). (Recruitment, Cadre, Seniority and promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200--50--1300—60—1600— EB —60—1900—100 2000.

(ii) *The Railway Board Secretariat Service* :—

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent), Rs. 1500—60—1800—100—2000.

2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200—50—1600.

3. Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

4. Assistants Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistant's Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be iligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joined the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privelege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—1200.

(4) Assistants (Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of pay
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)	Rs. 1500-60-1800.
(2) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1100-50-1600
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B—Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
(4) Assistant (Group B—non gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the scale of the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarter or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to post not included in that Service.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New, Delhi, the 29th March 1984

No. F. 8/9/83-NS.—The following Members of Parliament are appointed with immediate effect as Members of the National Saving Central Advisory Board reconstituted for the period upto 31st December, 1985 in the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Resolution No. F. 8/9/83-NS dated the 22nd December 1983.

1. Shri D. G. Patil, Member, Rajya Sabha.
2. Shri G. C. Bhuyan, Member, Rajya Sabha.
3. Shri Aladi Aruna, Member, Rajya Sabha.
4. Shri Bishnu Prasad, Member, Lok Sabha.
5. Smt. Madhuri Singh, Member, Lok Sabha.
6. Shri Bijendra Pal Singh, Member, Lok Sabha.
7. Shri Mohd. Asrar Ahmed, Member, Lok Sabha.
8. Shri Dharma Vir Sinha, Member, Lok Sabha.
9. Shri Sudhir Kumar Giri, Member, Lok Sabha.

A. L. TULI, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL & MINES

DEPARTMENT OF STEEL

New Delhi, the 2nd April 1984

RESOLUTION

No. SC-4 (11)/83-D. III.—The small Scale Industries Corporations have been entrusted with the distribution of iron and steel materials to the small scale industrial units since 1972. They are at present supplied steel at rebate by the main producers so that it could be made available to the SSIs at prices comparable to main producers' stockyard prices. The Corporations have been representing for some time that the handling margins given to them for distribution of iron and steel materials are inadequate and should be revised. It has, therefore, been decided to set up a Committee :

(a) to review generally the working of the existing schemes of supplies through the SSICs and suggest measures for streamlining the same ;

(b) to examine the cost of handling of iron and steel materials by the SSICs and to suggest a mechanism by which iron and steel are made available to SSIs at prices comparable to the prices at which these are delivered from the stockyards of the main producers; and

(c) to make recommendations on (a) & (b) and on any other matter incindential to it.

2. The composition of the Committee will be as follows :—

CHAIRMAN

1. Shri D. N. Ghosh, Addl. Secy. to the Govt. of India, Ministry of Steel & Mines, Udyog Bhavan, New Delhi.

MEMBERS

2. Shri P. G. Ramrakhiani, Joint Secy. to the Govt. of India, Ministry of Steel & Mines, Department of Steel, Udyog Bhavan, New Delhi.
3. Shri D. K. Ghosh, Iron & Steel Controller, 234/4, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-700 020.
4. Chairman, Council of Small Industries Corporations in India, Flat No. 910, Padma Tower-I, Rajendra Place, New Delhi-110 008.
5. A representative of Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi.
6. Shri S. M. Venkataraman, Deputy General Manager, Steel Authority of India Ltd., Central Marketing Organisation, Martin Burn House, (4th & 5th Floor), 12, Mission Row, Calcutta-700 001.
7. Shri J. S. Charlu, Executive Secretary, Joint Plant Committee, 225-C, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-700 020.

MEMBER SECRETARY

8. Shri S. C. Mazumdar, Joint Iron & Steel Controller, 234/4, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-700 020.

The Committee may co-opt additional member(s) as and when considered necessary.

3. The Committee will submit its report to the Government within a period of three months from the date of issue of this Resolution.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, and

1. Iron & Steel Controller, 234/4, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-700 020.
2. The Executive Secretary, Joint Plant Committee, 225-C, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-700 020.
3. The Chairman, Steel Authority of India Limited, New Delhi.
4. Chairman, Council of Small Industries Corporations in India, Flat No. 910, Padma Tower-I, Rajendra Place, New Delhi-110 008.
5. Chairman and Members of the Committee.
6. Desk-I/Desk-II, Steel Control and Distribution Wing, Department of Steel, New Delhi.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India for general information.

P. G. RAMRAKHIANI
Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th March 1984

RESOLUTION

No. 07011/4/83-Salt.—In further modification of this Ministry's Resolution No. 07011/1/80-Salt dated 29-7-81 as amended by Resolutions of even number dated 26-11-81, 15-4-82, 5-7-82, 6-9-82, 8-11-82 and 16-12-82 and No. 07011/4/83-Salt dated 14-6-83, 29-6-83 and 18-8-83 constituting the Central Advisory Board for Salt the Government of India have decided to nominate Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao, Union Minister of State for Industry as Chairman of the Board in place of Shri S. M. Krishna the former Minister of State for Industry and Shri G. Venkataramanan, Joint Secretary, Department of Industrial Development in the Ministry of Industry as a member of the board in place of Shri S. B. Jain, formerly Additional Secretary, Department of Industrial Development since transferred.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section I.

O. P. SHARMA,
Under Secy

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION

New Delhi, the 29th March, 1984.

No. 18-7/82-LD. I.—In exercise of powers conferred by Article 15(2) of the Article of Association of Indian Dairy Corporation, and in supersession of this Department's Notification of even number dated 22-9-1982, the President is pleased to re-constitute the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation for a period of three years with effect from 22-9-1982 or until further orders, whichever is earlier as follows :—

CHAIRMAN

1. Dr. V. Kurien,
Chairman,
Indian Dairy Corporation,
Baroda.

2. Shri G. M. Jhala,
Managing Director,
Indian Dairy Corporation,
Baroda.

3. Shri V. H. Shah,
Managing Director,
Kaira Distt. Coop. Milk Producer's Union Ltd.,
Anand.

4. Shri P. S. Kohli,
Addl. Secretary,
Deptt. of Agri. & Coopn.,
New Delhi.

5. Shri M. Y. Priolkar,
Financial Adviser,
Deptt of Agri. & Coopn.,
New Delhi.

MEMBERS

6. Dr. O. N. Singh,
Animal Husbandry Commissioner,
Deptt. of Agri. & Coopn.,
New Delhi.

7. Shri K. N. Ardhanareeswaran, (upto 31-5-1983)
Joint Secretary,
Deptt. of Agri. & Coopn.,
New Delhi.

8. Shri Vishnu Bhagwan,
Joint Secretary,
Deptt. of Agri. & Coopn.,
New Delhi. (w.e.f. 16-7-1983)

9. Dr. R. P. Aneja,
Secretary,
National Dairy Development Board,
Anand.

VISHNU BHAGWAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 28th March 1984

RESOLUTION

No. 602/4/82-P&C.—The Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby constitute a Newsprint Price Fixation Advisory Committee w.e.f. 1-4-1984 to advise the Government in the matter of fixation of price of imported newsprint.

2. The constitution of the Committee shall be as under :—

CHAIRMAN

Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.

OFFICIAL MEMBERS

1. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
2. Joint Secretary, (Finance), Ministry of Information and Broadcasting.
3. Joint Secretary, Ministry of Commerce.
4. Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)
5. Joint Secretary, Ministry of Industry. (Department of Industrial Development)
6. A representative of Chief Controller of Imports and Exports.
7. Executive Director, State Trading Corporation or his representative.
8. Registrar of Newspapers for India.

NON-OFFICIAL MEMBERS :

1. A nominee of Indian and Eastern Newspapers Society
2. A nominee of Indian Languages Newspapers Association.

The Registrar of Newspapers for India will be the Member-Secretary of the Committee.

3. The Committee will make recommendations to the Government regarding the sale price to be fixed for imported newsprint taking into account *inter alia* the availability of both imported and indigenous newsprint and other relevant factors.

4. The Committee shall not open past decisions with regard to the sale of imported newsprint.

5. The role of the Committee will be purely advisory and its deliberations will be treated as confidential in nature. The information given to the members shall not be divulged except by a person authorised by the Government to do so in this regard.

6. The tenure of the non-official members will be one year.

7. The non-official members will be entitled to T.A./D.A. in accordance with the relevant Government instructions on the subject from time to time.

8. The Committee will ordinarily meet once every quarter in New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. K. BHATTACHARYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984